।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3220 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 25 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण देहरादून।

द्वारा:– वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:– **जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिंलगी से सैंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ:– **आपकी पत्र सं0 1956/FP/UK/Road/31821/2018 दिनांक 05.02.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि सिंलगी से सैज मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा प्रस्तावित समरेखण हेतु चयनित की वन भूमि न्यून है। ग्राम सैंज पूर्व में स्थित सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग से ऊचाई पर होने के कारण जन–समुदाय की सुख सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण आवश यक है। प्रस्तावक विभाग द्वारा किये गये समरेखण में तकनीकी दृष्टि से आरक्षित वन भूमि न्यूनतम आ रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया है। क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि से उक्त मोटर मार्ग आरक्षित वन भूमि से ही प्रस्तावित किया जाना उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रो की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं लांभावित गांव को सड़क परिवहन से जोड़ने के दृष्टिगत प्रकरण संस्तुति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:– / दिनांकित।

प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश यक का र्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अधिशासी अभि यन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner